



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://htc.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (117)आकाशि / नि.सं. / 2012/609

दिनांक: 07-10-22

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संरचना अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध क विश्वविद्यालय	नवीन विषय
विद्यानी शिक्षण समिति, अम्बावाड़ी, जयपुर।	विद्यानी लौं कॉलेज, भैतरिया भैरू, कालवाड़, जोधनेर रोड, जिला जयपुर।	डॉ. भीमराव अवेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर पी.जी. डिप्लोगा इन लैवर लौं (P.G.D.I.L.) एक वर्षीय पाठ्यक्रम।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.पी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में आधारपन कार्य हेतु यू.पी.सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वैयपोर्टल WWWaishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- संस्था स्टाफ सूची, वेतन मुश्तान सूची, अग्निशमन यंत्रों के छायाचित्र नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाने, पी.एफ एवं ESI कटीयों के प्रमाण पत्र विद्यानी लौं कॉलेज के नाम प्रस्तुत करने एवं भवन सम्बन्धी मापदण्ड सत्र 2022-23 में पूर्ण करें, अन्यथा उक्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निररत हो जावेगा।

अयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- विशिष्ट सहायक, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी साधिय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी साधिय, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, जयपुर।
 - कुल सचिव, डॉ. भीमराव अवेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
 - सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रक्षित पत्रावली।

अ.प्राप्त
संयुक्त-निदेशक (निःसं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर